आदेश के सैहर

8/3/17 पत्रावली आज राजस्व कैम्प कोटड़ी मोपालीगढ़ पर पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता व विपक्षी संख्या 2 उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 व 6 अनुपस्थित। निर्णय पृथक से किया जाकर शामिल फाईल किया गया, पत्रावली निर्णित अंतर्गत दर्ज नम्बर से कम की जाये। पत्रावली मूल पद के साथ संलग्न की जावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भीलवाडा

न्याय आपके द्वार राजस्व केम्प कोर्टः—भोपालगढ

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 19 / 2016

उनवान

1—सुनिल चंदेल पुत्र बंशीलाल चंदेल (खटीक) निवासी गाडरमाला तहसील व — — जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1— बंशीलाल पुत्र नानूराम चंदेल(खटीक) नि0गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा
2. शन्नो पुत्री बंशीलाल चंदेल(खटीक) नि0गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा
3— संतोष पुत्री बंशीलाल चंदेल(खटीक) नि0गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा
4— शिवराम पुत्री बंशीलाल चंदेल(खटीक) नि0गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा
5— चांदी देवी पत्नी सोहनलाल खटीक नि0गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा
6— कालू पुत्र नोला खटीक नि0 गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा
7— देवचन्द पुत्र नानूराम खटीक नि0गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा
8— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

निर्णय

दिनांक 25.05.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव वादपत्र न्यायालय में दिनांक 25.10.2011 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया, जिसे पंजीबद्व किया गया। प्राथ्रना पत्र में अंकित किया गया कि ग्राम भोपालगढ में जमाबन्दी सम्वत् 2063—2066 की खाता संख्या 72 में स्थित आराजी सं0 1586,1601,1602,1603,1605,1606,1607,1608,एंव 1610 कुल किता 09 कुल रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमी प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त कब्जे की पुश्तेनी आराजियात है। प्रार्थी के पिता जो विपक्षी संख्या 1 का उक्त आराजियात में 1 / 4 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 के पिता श्री नानूराम के मृत्यु के पश्चात उक्त आराजियात विपक्षी संख्या 1 के हिस्से में आई व राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित की गई। इस प्रकार उक्त आराजियात पुश्तेनी होकर प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 का बराबर हक / हिस्सा निहित है, तथा प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 उक्त आराजियात पर संयुक्त कब्जा है। विपक्षी संख्या 1 के नाम उक्त आराजियात नाम पर होने के कारण विपक्षी संख्या 1 ने इसका नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त आराजियात को दिनांक 2 दिसम्बर 2004 विपक्षी संख्या 5 को जरिये रजिस्टर्ड विकय कर दिया गया,जिसका नामान्तरकरण संख्या 2047 दिनांक 6.04.2011 को पंचायत द्वारा फैसल किया गया, विपक्षी संख्या 05 प्रार्थी को जबरन बेदखल रिना चाहता है एंव उक्त आराजियात किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तान्तरण / खुर्द—बुर्द कर देंगे तो प्रार्थी को अपूरणीय

क्षति होगी तथा पक्षकारो के मध्य विवाद उत्पन्न हो जायेगा। अतः विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी के अधिवक्ता व विपक्षी संख्या 5 उपस्थित, विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 व 06 से लगायत 07 अनुपस्थित, जिनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम भोपालगढ में स्थित आराजी संख्या 1586,1601,1602, 1603, 1605, 1606, 1607, 1608, एंव 1610 कुल किता 09 कुल रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमी जमाबन्दी सम्वत् 2063--66 में कालू पिता नोला बंशीलाल,देवचन्द पिता नानूराम खटीक सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। उपरोक्त भूमि नानूराम खटीक की विरासत से बंशीलाल खटीक के नाम नामान्तरकरण सं0 1445 दिनांक 20.12.2002 से दर्ज होने से प्रार्थी की पुस्तैनी है। उपरोक्त आराजियात में प्रार्थी के पिता बंशीलाल का 1/4 हिस्सा निहित होकर इस 1/4 हिस्से में प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 का जायन्दा पुत्र होकर हक हिस्सा प्राप्त करने का प्रथम दृष्ट्या अधिकारी होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है। चुंकि उपरोक्त भूमि मे से प्रार्थी हक हिस्से से मौके पर काबिज होने से सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। उपरोक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण संख्या 1 व 6,7 के नाम पर दर्ज होने से एंव विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपना हक हिस्सा विपक्षी संख्या 05 को विक्रय कर देने से प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर आमादा होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित होता है। अतःएंव

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व विपक्षीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम ग्राम भोपालगढ में स्थित आराजी संख्या 1586,1601,1602, 1603, 1605, 1606, 1607, 1608, एंव 1610 कुल किता 09 कुल रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमी की राजस्व रेकार्ड एंव मौके की स्थिति मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति कायम रखी जावे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0)भीलवाडा
राजस्व केम्प कोर्टः--भोपालगढ